

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोपेश्वर (चमोली)।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय जनपद न्यायालय, गोपेश्वर चमोली में पुराने फनीचर, लकड़ी व लोहे से बने सामान जो कि वित्तीय वर्ष 1980-90 में क्रय किये गये थे की नीलामी खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक 11.12.2017 को दोपहर 02:30 बजे से की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोपेश्वर (चमोली) के नजारत अनुभाग में ₹ 2000/- (₹ 2000/- रिफन्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि, दिनांक 11.11.2017 की दोपहर 12:00 बजे या उससे पूर्व जमा करनी होगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म, निविदा की समस्त नियम व शर्तों एवं उक्त सामान/सामग्री का अवलोकन कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोपेश्वर (चमोली) में किया जा सकता है। उक्त विवरण जनपद न्यायालय, गोपेश्वर (चमोली) के बेवसाइट <http://ecourts.gov.in/chamoli/> के Tender option पर भी उपलब्ध है।

(रवि प्रकाश)

अध्यक्ष /

सचिव, जि०वि०से०प्रा०

नीलामी समिति,

जजशिप परिसर, गोपेश्वर
(चमोली)।

पत्रांक- 546 A /नजारत अनु०/2017: चमोली: दिनांक: दिसम्बर 05, 2017.

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर बृहद् प्रचार हेतु चरपा करें:-

1. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, गोपेश्वर चमोली।
2. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गोपेश्वर चमोली।
3. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत, गोपेश्वर चमोली।
4. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका, गोपेश्वर चमोली।
5. नोटिस बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर चमोली।
6. सिस्टम ऑफिसर को इस आशय से प्रेषित कि वे न्यायालय के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष /

सचिव, जि०वि०से०प्रा०

नीलामी समिति,

जजशिप परिसर, गोपेश्वर
(चमोली)।

जजशिप चमोली (गोपेश्वर) में फर्नीचर व लकड़ी का सामान एवं लोहे का सामान व अन्य से सम्बन्धित सहवर्ती उपकरण आदि के नीलामी हेतु सूची।

क्र०सं०	सामान/उपकरण का नाम	कय की गयी मात्रा (प्रति नग)
1	चीयर लोहे फ्रेम वाली डल्लब की गद्दी	12
2	लोहे की फ्रेम वाली कुर्सी छोटी	01
3	रिवालरींग चीयर	02
4	बुडन चीयर	02
5	लोहे का गेट टूटा हुआ	01
6	लोहे का बैन्च टूटी हुयी	02
7	नोटिस बोर्ड लकड़ी वाले	02
8	लोहे के ड्रम टूटे हुये	02
9	जनरेटर छोटा टूटा हुआ कबाड़	01 सैट
10	पानी की टंकी सीन्टेक्स	01
11	वास मिशन स्टील पुराना	02
12	लोहे का बना जजमेंट बाक्स	01

अन्य प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बने सामान, कपड़े के एवं रबड़ से बने सामान की सूची

1	टायर बुलेरौ गाड़ी	04
2	टायर एस०एक्स० 4 गाड़ी	13
3	टी पोर्ट चीनी मिट्टी	02
4	थर्मस प्लास्टिक टूटा हुआ	02
5	एक्वागार्ड	01
6	प्युरीट प्लास्टिक टूटा हुआ	02
7	वी०आई०पी० अटेची सूटकेस टूटी हुई	01
8	तवा टूटा हुआ	01
9	प्रेसर कुकर	01
10	फिल्टर स्टील	04
11	नेम प्लेट लकड़ी वाले बोर्ड	03
12	कालीन ऊनी	01
13	लाल चटाई बडी	02
14	दरी चैक वाली बडी	01
15	चटाई हरे रंग की छोटी बडी	03
16	चटाई नीले रंग की छोटी बडी	04
17	सिस्टन	01

अध्यक्ष /
सचिव, जि०वि०से०प्रा०
नीलामी समिति,
जजशिप परिसर, गोपेश्वर
(चमोली)।

नियम एवं शर्तें

- नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कार्यालय जनपद न्यायालय, गोपेश्वर (चमोली) के नजारत अनुभाग में ₹ 2000/- (₹ 2000/- रिफण्डेबल शुल्क) की जमानत धनराशि, दिनांक 11.12.2017 की दोपहर 12:00 बजे या उससे पूर्व जमा करनी होगी। बिना जमानत धनराशि जमा कराये, नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
- जमानत धनराशि को जमा करने हेतु प्रपत्र कार्यालय जनपद न्यायालय, गोपेश्वर (चमोली) के नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रपत्र कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोपेश्वर (चमोली) के बेवसाइट पर भी उपलब्ध है।
- उक्त पुराने फनीचर, लकड़ी व लोहे से बने सामान का अवलोकन नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय परिसर, गोपेश्वर (चमोली) में किया जा सकता है।
- नीलामी कार्यालय जनपद न्यायालय, गोपेश्वर (चमोली) में खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक 11.12.2017 को दोपहर 02:30 बजे से की जायेगी।
- कार्यालय जनपद न्यायालय, गोपेश्वर (चमोली) को बिना कारण बताये, नीलामी की तिथि को परिवर्तन करने एवं नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- असफल बोलीदाताओं की जमानत धनराशि ₹ 2000/- को नजारत अनुभाग से वापस कर दी जायेगी तथा सफल निविदा दाता की जमानत धनराशि को सामान उठवाने के पश्चात् वापस/समायोजन कर दी जायेगी।
- सफल निविदा दाता को उसके द्वारा लगाये गये मूल्यों के अलिखित सम्बन्धित कर/जी0एस0टी0 भी अदा करना होगा। सफल निविदा दाता को सामान उठवाने से पूर्व अपना फोटो पहचान पत्र की एक प्रति एवं एक रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो भी जमा करानी होगी।
- नीलामी प्रक्रिया न्यूनतम बोली से उपर होगी। उक्त सामान की न्यूनतम मूल्य सामान के अनुसार खुली बोली से पूर्व निर्धारित किया जायेगा।
- नीलामी प्रक्रिया की निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम की बोली लगाने वालों को नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
- नीलामी प्रक्रिया की निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा। उच्चतम नीलामी मूल्य को भी निरस्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।

- समिति द्वारा स्वीकार किया गया नीलामी मूल्य तभी अन्तिम माना जायेगा जब अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर लिया जाये।
- कार्यालय जनपद न्यायालय, गोपेश्वर (चमोली) द्वारा स्वीकार किये गये नीलामी मूल्य के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- उक्त सामान को नीलामी प्रक्रिया स्वीकार के 24 घण्टे के भीतर ले जाना होगा अन्यथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी तथा उक्त सामान की नीलामी पुनः की जायेगी।
- बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि जमानत धनराशि जमा करने से पूर्व नीलाम किये सामान का सम्यक् रूप से निरीक्षण कर ले। निरीक्षण का अर्थ यह नहीं होगा कि सामान के साथ छेडछाड़ कदापि नहीं होगा।
- नीलामी के दौरान नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने वाले बोली दाताओं को नीलामी प्रक्रिया से निष्काशित किया जा सकता है तथा नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन एवं अनुशासनहीनता करने पर कार्यवाही करने का अधिकार समिति का होगा।
- यदि नीलामी समिति के संज्ञान में यह बात आती है कि बोलीदाताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या सांठ गांठ कर रखी है और उक्त सामान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी प्रक्रिया निरस्त/स्थागित कर दी जायेगी।
- नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद का अधिकार क्षेत्र गोपेश्वर (चमोली) स्थित सक्षम न्यायालय को होगा।


 अध्यक्ष /
 सचिव, जि०वि०से०प्रा०
 नीलामी समिति,
 जजशिप परिसर, गोपेश्वर
 (चमोली)।

फार्म


• सामान/उपकरण का नाम—

• व्यक्ति/फर्म का नाम—

• पूरा पता—

• मोबाइल/टेलीफोन नम्बर —

• फोटो—



• सुरक्षा धनराशि ₹ 2000/- (₹ 2000/- रिफण्डेबल शुल्क) को नजारत अनुभाग में जमा करने वाले केन्द्रीय साध्यपाल/सहायक साध्यपाल/कैशियर के हस्ताक्षर—

स्थान—

दिनांक—

व्यक्ति/फर्म के हस्ताक्षर